राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, करौली

क्रमांक :खअ / करौ / अवैध / 2025 / दिनांकः— 17.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा अवैध खनन / निर्गमन / भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त किया गया खनिज सिलिका सैण्ड की नीलामी दिनांक 13.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली परिसर में की जावेंगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व बयाना राशि एंव प्रतिभूति राशि का डी0डी0 खनि अभियन्ता, करौली के पक्ष में कार्यालय में जमा कराकर बोली में भाग ले सकेंगे।

क्र. सं	सामग्री का नाम	भण्डारण स्थल	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत मूल्य	बयाना राशि	अमानता राशि
1	खनिज सिलिका सैण्ड	खनन पट्टा संख्या 3 / 1990 निकट ग्राम सैमरदा तहसील व जिला करौली	1150 टन	12,65,000 / —	25300 / —	63250 / —

नोटः— नीलामी से संबन्धित शर्तो एवं खनिज सिलिका सैण्ड के स्टॉक की जानकारी विभागीय वेवसाईट *mines.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है* एवं इस संबंध में जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

(डी0 एस0 मीना)
खनि अभियन्ता,
करौली

Signature valid
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.07.17 16:23:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16622339

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली

दिनांकः– 17.07.2025

कमांकः–खअ / करौ / अवैध / 2025 /

श्रीमान निदेशक महोदय,
सूचना एंव जनसंपर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत कार्यालय द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त की गयी खनिज सिलिका सैण्ड की नीलामी के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किये जाने बाबत् प्रेस विज्ञप्ति संलग्न कर निवेदन है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के एक अंक में न्यूनतम स्थान में डी.आई.पी.आर. दरो पर प्रकाशित कराया जाकर बिल दो प्रतियो में कार्यालय को भिजवाने का श्रम करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डी.एस.मीना)
खनि अभियन्ता
करौली
दिनांक :–17.07.2025

कमांक :– समसंख्यक/

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति को विभागीय वैवसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे, ।
2. श्रीमान जिला कलक्टर करौली।
3. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, खान एंव भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर को सूचनार्थ वं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने बाबत।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाडा, राजसंमद को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने बाबत।
6. श्रीमान कोषाधिकारी करौली को भेजकर निवेदन है कि नीलामी कार्यवाही दिनांक 13.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे अपना प्रतिनिधि जो कि लेखाधिकारी से नीचे का पद नहीं हो नामित कर नीलामी कार्यवाही में भिजवाने का श्रम करे।
7. लिपिक डाक जावक शाखा कार्यालय हाजा को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

खनि अभियन्ता
करौली

Signature valid
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.07.17 16:23:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16622339

Scanned with OKEN Scanner

खनिज सिलिका सैण्ड की नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
2. बोलीदाता द्वारा विभाग के किसी कार्यालय मे किसी भी प्रकार की बकाया नही होने के संबंध में शपथ पत्र राशि 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को वस्तु एवं सेवाकर विभाग के जीएसटी संख्या की प्रति व आयकर विभाग के पेन कार्ड की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करनी होगी।
4. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अनुमानित लागत 12,65,000/- की 2 प्रतिशत बयाना राशि एंव 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का डी.डी. खनि अभियन्ता,करौली के पक्ष में कार्यालय में नीलामी के समय जमा कराना होगा।
5. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात 3 दिवस (बोली दिवस को छोडकर) में विक्रय मूल्य की अन्तर राशि (बयाना राशि एवं अमानत राशि को छोडकर) के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. संबन्धित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी। तय समयावधि में राशि जमा नही कराये जाने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. अनुमानित मात्रा से अधिक माल होने पर सफल बोलीदाता को ही अवशेष माल की राशि जमा कराने के पश्चात् ही अवशेष माल को उठाने की अनुमति दी जावेगी। राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. जब्तशुदा खनिज का न्यूनतम सरकारी मूल्य 1100/- रू0 प्रतिटन होगा एवं बोली 10/-रूपये प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
8. जब्तशुदा खनिज की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व खनिज सिलिका सैण्ड के स्वंय के स्तर से भण्डारण स्थल पर पहूँचकर किया जा सकता है।
9. जब्तशुदा खनिज जिस स्थिति में है जहॉ है उसी स्थिति में सफल बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
10. बोलीदाता को खनिज के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही(लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
11. बोलीदाता द्वारा राशि 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा जब्तशुदा खनिज के स्टॉको की गुणवत्ता का पूर्णतया निरीक्षण कर लिया गया है एवं खनिज जिस स्थिति में है जहॉ है उसी स्थिति में संतुष्ट हूँ एवं भविष्य में इस प्रकरण से संबंधित तथ्यो के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद/विवाद प्रस्तुत नही करूंगा।
12. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.डी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होगे।
13. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबंधित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र करौली होगा।

Signature valid
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.07.17 16:23:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16622339

Scanned with OKEN Scanner

14. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अधिकतम 15 दिवस ही अनुमत होगी।
15. 500 टन से अधिक खनिज को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
16. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को What's app पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
17. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम किये गये खनिज के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को What's app पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
18. नीलाम किये खनिज का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता खनिज को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
19. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
20. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
21. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
22. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
23. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
24. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।

(डी.एस.मीना)
खनि अभियन्ता
करौली

Signature valid
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.07.17 16:23:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16622339

Scanned with OKEN Scanner